भाग—III

हरियाणा सरकार

जेल विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अप्रैल, 2022

संख्या सा०का०नि० 64/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा जेल (वर्ग ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग—1

सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा जेल (वर्ग ग) सेवा नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक, कारागार विभाग, हरियाणा;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा जेल (वर्ग—ग) सेवा; तथा

(ज) "अधीक्षक मुख्यालय जेल" से अभिप्राय है, अधीक्षक मुख्यालय जेल।

भाग—II

सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे: पदों की संख्या और उनका स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि करने या कमी करने अथवा विभिन्न पदनाम तथा वेतनमान से नये नियमित पद सृजित करने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,— सेवा में नियुक्त किये गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

(2) किसी भी उम्मीदवार, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, को आयोग अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जाएगा, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र—जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपने अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या ऐसी संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बंधित न हों, उसी प्रकार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति, सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या भर्ती प्राधिकरण को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को,–

(क) सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष तथा महिला) की दशा में इक्कीस वर्ष से कम या सत्ताईस वर्ष से अधिक की आयु का हो;

(ख) वार्डर (पुरूष तथा महिला) की दशा में अठारह वर्ष से कम या पच्चीस वर्ष से अधिक की आयु का हो;

(ग) शस्त्रसाज (पुरूष) की दशा में पच्चीस वर्ष से कम या बयालीस वर्ष से अधिक की आयु का हो:

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा, समय–समय पर, नियत अनुसार अनुज्ञेय होंगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां इन नियमों के परिशिष्ट ग के खाना 3 में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

योग्यताएं तथा अनुभव।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोवत परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं और अनुभव नहीं रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रवर्गों से सम्बन्धित अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों, तो 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,

(क) सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष) की दशा में,–

(i) 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति द्वारा;तथा

(ii) 50 प्रतिशत उप सहायक अधीक्षक, जेल (पुरूष) में से पदोन्नति द्वारा;

(ख) सहायक अधीक्षक जेल(महिला) की दशा में,–

(i) 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति द्वारा; तथा

(ii) 50 प्रतिशत उप सहायक अधीक्षक, जेल (महिला) में से पदोन्नति द्वारा;

(ग) उप सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष) की दशा में,–

(i) मुख्यवार्डरों (पुरूष) में से पदोन्नति द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) उप सहायक अधीक्षक जेल (महिला) की दशा में,–

(i) मुख्यवार्डरों (महिला) में से पदोन्नति द्वारा ;

या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) मुख्य वार्डर (पुरूष) की दशा में,—
  (i) वार्डरों (पुरूष) तथा शस्त्रसाज (पुरूष) में से पदोन्नति द्वारा; या
  (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) मुख्यवार्डर (महिला) की दशा में,—
  (i) महिला वार्डरों में से पदोन्नति द्वारा; या
  (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) वार्डर (पुरूष) की दशा में,—
  (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
  (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) वार्डर (महिला) की दशा में,—
  (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
  (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(झ) शस्त्रसाज (पुरूष) की दशा में,—
  (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
  (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट 'ड.' में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगी। सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया।

11. प्रत्येक सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष तथा महिला) तथा उप सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष तथा महिला) से पंजाब विभागीय परीक्षा (जेल विभाग) नियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार पद पर उसकी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा अर्हक करने की अपेक्षा की जाएगीः विभागीय परीक्षा।

परन्तु सरकार, सेवा के किसी सदस्य को उपरोक्त विभागीय परीक्षा पास करने से छूट दे सकती है या उसे पास करने के लिए विहित अवधि बढ़ा सकती है, जिसमें असफलता होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया हो, तो उसे उसकी सेवा से अभिमुक्त कर सकता है;

(ख) विभागीय परीक्षा पास करने तक उसकी वार्षिक वेतनवृद्धि स्थगित कर सकता है और उस मामले में वह वार्षिक वेतनवृद्धि के किसी बकाया का हकदार नहीं होगा;

(ग) उससे कनिष्ठ, जिसने विभागीय परीक्षा पास कर ली है या विभागीय परीक्षा देने से छूट प्राप्त कर ली है, को पुष्ट तथा पदोन्नत करने के मामलें में उसे अधिक्रांत कर सकता है ;

(घ) सेवा के किसी सदस्य को तब तक पुष्ट नहीं किया जाएगा जब तक वह विभागीय परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता है।

12. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि वह अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा : परिवीक्षा।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;

(ख) स्थानांन्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने के लिए अनुज्ञात होगी ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी नियमित रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अभिमुक्त कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर पदावन्नत कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी ,–

(क) यदि उसकी राय में, उनका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को, नियमित रिक्ति पर उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अभिमुक्त कर सकता है तथा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर पदावन्नत कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर पारित कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

13. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसकी नियुक्ति की तिथि से उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार अवधारित की जायेगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग अवधारित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा अवधारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को दो या दो से अधिक नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में अवधारित की जाएगीः–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति तथा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य की दशा में, ज्येष्ठता नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पूर्व नियुक्ति में उच्चतर वेतन प्राप्त कर रहा था तथा यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान है, तो उसकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार तथा यदि ऐसा सेवाकाल भी समान है, तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

14. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा। सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा के सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है–

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि–निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो या गैर–सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा (iii) में विर्निदिष्ट केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

15. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य, ऐसे नियमों या विनियमों द्वारा शासित होंगे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं। वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

16. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य, समय–समय पर यथा–संशोधित पंजाब जेल विभाग कार्यकारी अमला (दण्ड तथा अपील) नियम, 1943 द्वारा शासित होंगे : अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

(2) पंजाब कारागार विभाग कार्यकारी अमला (दण्ड तथा अपील) नियम, 1943 के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।

17. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा तथा जब कभी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा। टीकाकरण।

18. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों (शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सिवाए) या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। आरक्षण।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह पदोन्नति/नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबंध।

20. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। राजनिष्ठा की शपथ।

21. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

22. पंजाब जेल विभाग राज्य सेवा (श्रेणी–III कार्यकारी) नियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं: निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष)	84	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–06 सैल1 = 35400/–रूपये
2.	सहायक अधीक्षक जेल (महिला)	09	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–06 सैल1 = 35400/–रूपये
3.	उप सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष)	60	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–06 सैल1 = 35400/–रूपये
4.	उप सहायक अधीक्षक जेल (महिला)	07	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–06 सैल1 = 35400/–रूपये
5.	मुख्यवार्डर (पुरूष)	312	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–04 सैल1 = 25500/–रूपये
6.	मुख्यवार्डर (महिला)	52	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–04 सैल1 = 25500/–रूपये
7.	वार्डर (पुरूष)	2760	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–02 सैल1 = 19900/–रूपये
8.	वार्डर (महिला)	173	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–02 सैल1 = 19900/–रूपये
9.	शस्त्रसाज (पुरूष)	02	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–02 सैल1 = 19900/–रूपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>पदनाम</th><th>सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव यदि कोई हो</th><th>सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>सहायक अधीक्षक, जेल (पुरूष)</td><td>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष;
(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत;
तथा
(iii) न्यूनतम ऊंचाई और छाती का माप
<table>
<tr><th>ऊंचाई</th><th>छाती का माप</th></tr>
<tr><td>170 सेंटीमीटर (सामान्य प्रवर्ग)</td><td>83 सेंटीमीटर (बिना फुलाये) और 87 सेंटीमीटर (फुलाकर) {सामान्य प्रवर्ग}</td></tr>
<tr><td>168 सेंटीमीटर (आरक्षित प्रवर्ग)</td><td>81 सेंटीमीटर (बिना फुलाये) और 85 सेंटीमीटर (फुलाकर) {आरक्षित प्रवर्ग}</td></tr>
</table></td><td>पदोन्नति द्वारा–
उप सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सहायक अधीक्षक जेल (महिला)</td><td>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष;
(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत;
तथा
(iii) न्यूनतम ऊंचाई और छाती का माप
<table>
<tr><td>158 सेंटीमीटर (सामान्य प्रवर्ग)</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>156 सेंटीमीटर (आरक्षित प्रवर्ग)</td><td>लागू नहीं</td></tr>
</table></td><td>पदोन्नति द्वारा–
उप सहायक अधीक्षक जेल (महिला) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>उप सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष)</td><td>......</td><td>पदोन्नति द्वारा–
मुख्य वार्डर (पुरूष) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा–
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ;
(ii) उप सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा
(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
4.	उप सहायक अधीक्षक जेल (महिला)	....	पदोन्नति द्वारा– मुख्य वार्डर (महिला) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; (ii) उप सहायक अधीक्षक जेल (महिला) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
5.	मुख्य वार्डर (पुरूष)	....	पदोन्नति द्वारा– वार्डर / शस्त्रसाज (पुरूष) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा– (i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड / संस्था से 10+2 या इसके समकक्ष ; (ii) मुख्य वार्डर (पुरूष) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
6.	मुख्य वार्डर (महिला)	......	पदोन्नति द्वारा– वार्डर (महिला) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा– (i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड / संस्था से 10+2 या इसके समकक्ष ; (ii) मुख्य वार्डर (महिला) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

<table>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>पदनाम</td><td>सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव यदि कोई हो</td><td>सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>वार्डर (पुरूष)</td><td>(i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड / संस्था से 10+2 या इसके समकक्ष;
(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; तथा
(iii) न्यूनतम ऊंचाई तथा छाती का माप
<table><tr><td>ऊंचाई</td><td>छाती का माप</td></tr><tr><td>170 सेंटीमीटर (सामान्य प्रवर्ग)</td><td>83 सेंटीमीटर (बिना फुलाये) और 87 सेंटीमीटर (फुलाकर) {सामान्य प्रवर्ग}</td></tr><tr><td>168 सेंटीमीटर (आरक्षित प्रवर्ग)</td><td>81 सेंटीमीटर (बिना फुलाये) और 85 सेंटीमीटर (फुलाकर) {आरक्षित प्रवर्ग}</td></tr></table></td><td>प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा–
(i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड / संस्था से10+2 या इसके समकक्ष ;
(ii) वार्डर (पुरूष) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा
(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>वार्डर (महिला)</td><td>(i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड / संस्था से 10+2 या इसके समकक्ष;
(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ; तथा
(iii) न्यूनतम ऊंचाई तथा छाती का माप
<table><tr><td>ऊंचाई</td><td>छाती का माप</td></tr><tr><td>158 सेंटीमीटर (सामान्य प्रवर्ग)</td><td>लागू नहीं</td></tr><tr><td>156 सेंटीमीटर (आरक्षित प्रवर्ग)</td><td>लागू नहीं</td></tr></table></td><td>प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा–
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड / संस्था से 10+2 या इसके समकक्ष ;
(ii) वार्डर (महिला) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा
(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>शस्त्रसाज (पुरूष)</td><td>(i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड / संस्था से 10+2 या इसके समकक्ष ;
(ii) सेना या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल) से सेवानिवृत या राज्य पुलिस बल के भूतपूर्व सदस्य, जिसने पूर्णकालिक शस्त्रसाज कोर्स पास किया हो, पुर्णकालिक शस्त्रसाज के रूप में सम्बन्धित संगठन में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो और भर्ती के लिए विज्ञापन की तिथि से पूर्ववर्ती अन्तिम पांच वर्ष के भीतर सेवानिवृत हुआ हो ; तथा
(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।</td><td>प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा–
(i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षाबोर्ड / संस्था से 10+2 या इसके समकक्ष ;
(ii) शस्त्रसाज (पुरूष) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; तथा
(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट ग

{देखिए नियम 16(1)}

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3. 4.	सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष) सहायक अधीक्षक जेल (महिला) उप सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष) उप सहायक अधीक्षक जेल (महिला)	महानिदेशक	I लघु शास्तियां— पंजाब जेल विभाग कार्यकारी अमला (दण्ड तथा अपील) नियम, 1943 में यथा विहित। II बडी शास्तियां— पंजाब जेल विभाग कार्यकारी अमला (दण्ड तथा अपील) नियम, 1943 में यथा विहित।	महानिदेशक	सरकार	—
5. 6. 7. 8. 9.	मुख्य वार्डर (पुरूष) मुख्य वार्डर(महिला) वार्डर (पुरूष) वार्डर (महिला) शस्त्रसाज (पुरूष)	अधीक्षक मुख्यालय जेल	I लघु शास्तियां— पंजाब जेल विभाग कार्यकारी अमला (दण्ड तथा अपील) नियम, 1943 में यथा विहित। II बडी शास्तियां— पंजाब जेल विभाग कार्यकारी अमला (दण्ड तथा अपील) नियम, 1943 में यथा विहित।	अधीक्षक मुख्यालय जेल	महानिदेशक	सरकार

परिशिष्ट घ

{देखिए नियम 16 (2)}

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3. 4.	सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष) सहायक अधीक्षक जेल (महिला) उप सहायक अधीक्षक जेल (पुरूष) उप सहायक अधीक्षक जेल (महिला)	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति करना।	महानिदेशक	सरकार	....
5. 6. 7. 8. 9.	मुख्य वार्डर (पुरूष) मुख्य वार्डर(महिला) वार्डर (पुरूष) वार्डर (महिला) शस्त्रसाज (पुरूष)	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति करना।	अधीक्षक मुख्यालय जेल	महानिदेशक	सरकार

परिशिष्ट ड.
सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया
(देखिए नियम 10)

इन नियमों में उल्लेखित पदों हेतू सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, (सामान्य सेवाएं–1 शाखा) अधिसूचना संख्या 42/119/2019–5जी.एस.–1, दिनांक 10 सितम्बर, 2021 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार होगी। इसके अतिरिक्त जेल विभाग की सेवाओं के लिए आवश्यक विशेष शारीरिक योग्यता तथा माप परीक्षा निम्नानुसार होगीः–

1. सभी उम्मीदवार, जो सामान्य प्रवेश परीक्षा सी.ई.टी. तथा शारीरिक माप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, को उनकी शारीरिक फिटनेस तथा सहनशक्ति हेतू शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षा देनी होगी, जो केवल अर्हक किस्म की होगी। इस परीक्षा के लिए विहित मानक निम्नानुसार होंगे।

उम्मीदवार	परीक्षा की दूरी	निर्धारित समय
1 पुरूष	2.5 किलोमीटर	12 मिन्ट
2 महिला	1.0 किलोमीटर	6 मिन्ट
3 भूतपूर्व सैनिक	1.0 किलोमीटर	5 मिन्ट

टिप्पणीः इस परीक्षा की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतू आयोग के विवेक पर आर.एफ.आई.डी. रेडियो तरंगों की पहचान करने वाला यंत्र) या किसी अन्य बेहतर और विश्वसनीय तकनीक का उपयोग किया जायेगा।

2. (क) यह परीक्षा देने के लिए अपेक्षित चिकित्सा फिटनेस की जिम्मेवारी उम्मीदवार की होगी।
   (ख) उम्मीदवार, जो शारीरिक स्क्रीनिंग जांच के लिए विहित मापदण्ड पूरा करने में असफल रहते हैं, को आगामी चयन प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जाएगा।
   (ग) उम्मीदवार, जो शारीरिक स्क्रीनिंग जांच परीक्षा में अर्हक होंगे, आगामी चयन प्रक्रिया में भाग लेंगे।
   (घ) शारीरिक स्क्रीनिंग जांच का परिणाम आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा जिसे शीघ्रता से इसकी शासकीय वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

3. (क) उन सभी उम्मीदवारों, जिन्होंनें शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षा अर्हक कर ली हो, को दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अन्य सभी उम्मीदवारों को आगामी चयन प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जाएगा।
   (ख) आरक्षण– आरक्षण के लाभ का दावा, सरकार की नीति के अनुसार केवल उन सभी उम्मीदवारों के लिए अनुज्ञेय होगा, जो अपने दावे के समर्थन में आवेदन के साथ संवीक्षा हेतु अपेक्षित वैध मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसमें असफल रहने पर उन्हें सामान्य श्रेणी में विचारा जायेगा, बशर्ते वह अन्यथा पात्र हों। इस संबंध में सूचना आयोग की शासकीय वैबसाईट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी।
   (ग) नियुक्त प्राधिकारी, नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा फिटनेस तथा चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगा।
   (घ) चिकित्सा फिटनेस के लिए मानदण्ड निम्न अनुसार हैंः–
      (i) उम्मीदवार, जिन्हें वर्णान्धता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा;
      (ii) सिविल सर्जन द्वारा भर्ती से पूर्व, प्रत्येक संगरूट की चिकित्सा जांच की जाएगी तथा सेवा के लिए शारीरिक रूप से फिट प्रमाणित किया जाएगा। सिविल सर्जन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र भर्ती हेतू अनिवार्य योग्यता है। सिविल सर्जन द्वारा जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी तथा उम्मीदवार की दृष्टि, वाणी तथा श्रवण करने, शारीरिक दोष, गांगिक या संक्रामक रोग, या किसी अन्य दोष या उसे अनफिट करने हेतू संभाव्य प्रवृत्ति से उसकी स्वतन्त्रता तथा उसकी आयु की जांच करेगा। उम्मीदवार, को अनुमत की गई लाइॅन कवरिंग उतारी जानी चाहिए सिवाय जब जांच पूर्ण हो गई हो ताा उम्मीदवार, जो ऐसा करने से इन्कार करता है, को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कारागार सेवा की शर्तें यह अनिवार्य करती हैं कि उम्मीदवारों की जांच सख्ती से होनी चाहिए। उम्मीदवार को कारागार अधिकारी के सम्पूर्ण कर्तव्यों के लिए उन्हें अनफिट करने वाले संभाव्य किसी रोग या दोष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
   (ड). चरित्र तथा पूर्ववृत्तों का सत्यापन.– नियुक्ति प्राधिकारी, इस विषय में, समय–समय पर, जारी किए गए सरकारी अनुदेशों के अनुसार चरित्र तथा पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए जिला मेजिस्ट्रेट को प्रति सहित, जिला पुलिस तथा आपराधिक अन्वषेण विभाग को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के सत्यापन प्ररूप भेजेगा।

राजीव अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग।